

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में ✓

हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य।

यादि क्रमांक 27/30-2019 तम (2)
दिनांक, पंचकूला 27-2-2019

विषय : लोकसभा आम चुनाव 2019 – सहयोग।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक 184/सहयोग/लोकसभा/निर्वाचन-2019/2एई -1404, दिनांक 11.02.2019 की प्रति भेजते हुए अनुरोध करूं कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को विषयांकित मामले में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

उप-अधीक्षक तालमेल

-कृते: निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक : सम

दिनांक, पंचकूला

उपरोक्त की प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, 30 बेज बिल्डिंग, तृतीय तल, सैक्टर-17 बी, चण्डीगढ़ को उनके पत्र क्रमांक 184/सहयोग/लोकसभा/निर्वाचन-2019/2एई -1404, दिनांक 11.02.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप-अधीक्षक तालमेल

कृते: निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।



OFFICE OF CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

लोकसभा आम चुनाव 2019 / तत्काल

क्रमांक: 184 / सहयोग / लोकसभा / निर्वाचन-2019 / 2ई-1 / 404 दिनांक: 11.02.2019

सेवा में

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग ।
3. अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग ।
4. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग ।
5. महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा ।
6. राज्य के सभी मण्डल आयुक्त ।
7. राज्य में सभी उपायुक्त ।
8. राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।

विषय:- लोकसभा आम चुनाव 2019 - सहयोग ।

महोदय / महोदया

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपको यह कहने के निर्देश हुए हैं कि लोक सभा आम चुनाव 2019 का कार्य इस समय चरम सीमा पर है जैसा कि आपको विदित है कि चुनाव प्रक्रिया एक जटिल तथा समयबद्ध कार्य है । चुनाव की घोषणा भी आगामी दिनों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कभी भी की जा सकती है ।

अतः यह आवश्यक है कि चुनाव सम्बन्धी विभिन्न स्टेजिज पर किए जाने वाले सभी कार्यों को ध्यानपूर्वक व सुचारु रूप से निर्धारित समय में सम्पन्न किया जाए । चुनाव के प्रोग्राम में कुछ विषय कानूनी प्रावधानों पर आधारित हैं, जिनका निर्धारित समय के अन्दर-2 पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है ।

इसके अतिरिक्त चुनाव सम्बन्धी विषय में किसी प्रकार की ढील, चुनाव कार्यक्रम को अस्त-व्यस्त कर देगी, जिसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं । ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए यह अति आवश्यक है कि हरियाणा राज्य के सभी विभागों द्वारा निर्वाचन विभाग को हर प्रकार से पूर्ण तथा तत्परता से सहयोग दिया जाए ।

अतः आपसे अनुरोध है कि चुनाव विभाग द्वारा आपको भेजे जाने वाले सभी पत्रों को प्राथमिकता दी जाए तथा जब भी इस विभाग की ओर से किसी प्रकार की सूचना, आपसे निर्धारित समय में मांगी जाए तो आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि वह सूचना हर मामले में, वांछित अवधि में इस विभाग को अवश्यमव पहुंच जाएं । इसके अतिरिक्त आप राज्य में अपने अधीन सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि वह सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें । विभाग को पूर्ण विश्वास है कि चुनाव कार्य में जब कभी भी आपके व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता होगी, तो उस समय भी आप अपना सहयोग देंगे और चुनाव कार्य में भी यथा सम्भव सहायता करेंगे ।



OFFICE OF CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

इसके अतिरिक्त आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया आप अपने अधीन सभी सरकारी/अर्ध सरकारी बोर्ड, निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 159(1)(2) (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत आते हैं उनकी सेवाओं की चुनाव कार्यों के लिए जब भी सम्बन्धित उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मांग की जाए उन्हें तत्काल उपलब्ध करवाए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें तथा कृपया की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करवाने का कष्ट करें ।

कृपया इस पत्र की पावती भेंजे ।

भवदीय,

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा ।

पृष्ठांकन क्रमांक: 184/सहयोग/लोकसभा/निर्वाचन-2019/2एई-1405 दिनांक: 11.02.2019
इसकी एक प्रति राज्य में सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा ।

पृष्ठांकन क्रमांक: 184/सहयोग/लोकसभा/निर्वाचन-2019/2एई-1406 दिनांक: 11.02.2019
इसकी एक प्रति राज्य में सभी निर्वाचन तहसीलदारों/निर्वाचन उप तहसीलदारों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा ।